

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/114

प्रार्थी जसकरण सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी चक 32 केएसडी ढाणी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूल रसीद गुम होने का हलफनामा मय एफ.आई.आर की प्रति, परिवार सदस्य प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे पिता दर्शन सिंह पुत्र नानक राम जाति बावरी निवासी चक 32 केएसडी ढाणी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 30.09.2020 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 15.04.2021 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान सेवा राम पुत्र जीत राम एवं प्रशन सिंह पुत्र करनेल सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री अवरिन्द्र सिंह अरोडा श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

ke